



St. Wilfred Education Society

Sector-10, Meera Marg, New Sanganer Road, Mansarovar, JAIPUR - 302020

Ph. : 0141-2780436, 2780904 3248333, • Fax : 0141-2784426

E-mail : st.wilfreds@gmail.com • Website : www.stwilfreds.com

Date :

To,
The Commissioner
Rajasthan Housing Board
Jaipur

Subject : Land Allotment for Educational Purpose in Mansarovar, Jaipur
Sector-8.

Respected Sir,

Greetings,

We are a premier education group of Rajasthan running educational institution for more than 20 years. We want to open a new education Institution in Jaipur. We request you to please allote 1300 sq meter land area in Mansarovar, Jaipur.

Thanking You

for St. Wilfred Education Society

Authorised Signatory



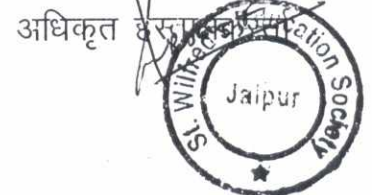
चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु
प्रार्थना-पत्र

क्र.स.	विवरण	आवेदक/संस्था द्वारा
1	संस्था/संगठन का नाम	सेन्ट विलेज रजुक्शन सोसायटी
2	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	डॉ. केशव खड्का
3	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	सेक्टर-10, मीरा मार्ग, मानसरोवर जयपुर 98290 64900
4	भूमि आवंटन का उद्देश्य	शैक्षणिक उपयोग
5	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	48.32 X 25.69 सेक्टर- 8 मानसरोवर
6	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	48.32 X 25.69 =
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न है।
8	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	माला हारा 2000 वर्ग मीटर सेक्टर 3 में मानसरोवर 1000 वर्ग मीटर सेक्टर 5 में
9	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है।
	ii- बाईलॉज रज्युलेशन	"
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट	"
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है।
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है
	vi- रुपये 5000 + 900 GST सहित (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक डी.डी. / पे-ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम हो।	DD No. 423391 Amount - Rs. 5900/- dated - 03/02/2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपराक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया हैं संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान : जयपुर



नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

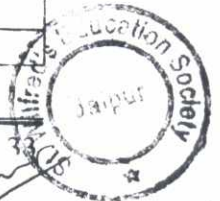
पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	सेठ विलियम एडवेंचर्स सोसायटी
शहर/फसवे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	मानसरोवर सेक्टर-8 जयपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	मानसरोवर सेक्टर-8
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	23-06-2000
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	सलगन है।
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	सलगन है।
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	सलगन है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	समाज के सभी वर्गों को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस क्या संस्था को पूर्ण में करनी इन्गी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हा तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	2000 वर्ग मीटर सेक्टर 3 मानसरोवर 1000 वर्ग मीटर सेक्टर 5 जयपुर राजस्थान राजपूत नोर्मस 23.9.2013
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	अन्दर
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	सलगन
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है, तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	शैक्षिक
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	आरक्षित दर पर
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	नहीं
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015



राजस्थान सरकार

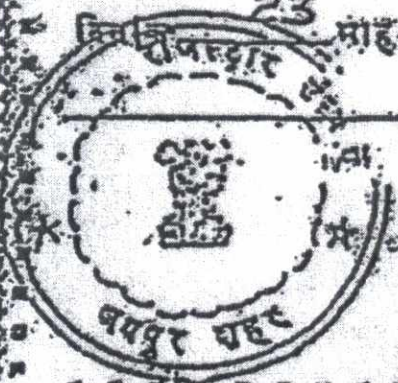


रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 214 /अपुसुर/2000 - 2001

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट विलफ्रेड एज्युकेशन सोसाइटी
सेन्टर नं०-१० मानसरोवर, जयपुर जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आंश किया गया।

यह प्रमाण-पत्र 23 महीने जून तक वैध होगा।
को जयपुर में किया गया।



Secretary

1/3/2001
रजिस्ट्रार के कार्यालय

मुद्रा : राजस्थान राज्य सदस्यी मुद्रालय लिमिटेड, जयपुर-1 374969



मानसरावर - सेक्टर - 8

Area - 48.32 X 20.69

Approx - 1250 Sq yards

